

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

टिब्बी जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

क्रि० न० :- 445/2025

1 राम निवास पुत्र मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी 4एन. डी. आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 गीता देवी पत्नी मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी 4एन. डी. आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्

1 मोहनलाल पुत्र किशोरीलाल जाति कुम्हार निवासी 4एन. डी. आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 ममता पुत्री मोहनलाल जाति कुम्हार निवासी 4एन. डी. आर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 17/10/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जे०एन० शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- वादी स० 1 रामनिवास - चक 4 एन. डी. आर खाता स. 80/69 प.न. 198/322 मु.न. 6 कि.न. 11 / 2 / 0.2280, 12 ता 19/2.0240 हे., 20/1/.228 हे०

वादीया स० 2 गीता देवी - चक 4 एन. डी. आर खाता स. 80/69 प.न. 200/323 मु.न. 19 कि.न. 1/2/0.2280, 2 ता 5/1.0120 हे०. आराजी के खातेदार का तकासर घोषित किये जाते है इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे व चक न० चक 4 एन. डी. आर खाता स. 80/69 में प्रतिवादी स० 1 मोहनलाल का हिस्सा कम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उप (सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।